Crim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर मुकाम बाप

फकीर खां बनाम हासम खां

09 R4 CRC नं. 169/2019 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/9/19 प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र तारीख वकील अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जावे। मिसल दिनांक 7/11/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर बाप (जि. जोधपुर)	
7/11/19 आज श्रीमान ए.सी.एम. / एस.डी.एम. साहब दौरे / अवकाश पर हैं। पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली तारीख 9/11/19 को पेश हो।	
9/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अ. 1 मूल पत्रावली तलब होकर मिसल दिनांक 12/11/19 को पेश हो।	
12/11/19 अग्रिम कार्यवाही	
20/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की प्रा. पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के वकील का देहान्त हो जाने के कारण एवं उन्हें प्रा. पत्र दिये के संबंध में जानकारी नहीं होने के कारण प्रार्थी का वाद खारिज करवाने में असफल हो गया। प्रार्थी कानून व्यक्ति है अतः लाभ हित में प्रार्थी का प्रा. पत्र पुनर्जीवित कर पुनः नम्बर किये जाने के आदेश फरमावें। वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। पूर्व आदेश दिनांक 13/11/19 का अवलोकन किया गया। बाड़मेर एवं अवलोकन पाया गया कि न्याय हित में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना उचित है अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार कर प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 145 द.प्र.सं. 70/13 पुनर्जीवित कर पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मिसल अग्रिम कार्यवाही के लिये पत्रावली हो। (महावीर सिंह) RAS	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.20 22:26:14 IST
Reason: SelfAttested